न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **188/2014** अपील (राजस्व)

1. श्री लालू पिता श्री भैरा भील निवासी कुण्डाल, पटवार क्षेत्र नाहरमगर, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री कन्ना पिता भैरा भील, निवासी कुण्डाल, तहसील मावली, जिला उदयपुर मृतक के बजायः—
   - 2/1 श्री कैलाश पुत्र कन्ना भील
   - 2/2 श्री लोकेश पुत्र कन्ना भील
   - 2/3 कंकुबाई पुत्री कन्ना भील
   - 2/4 रूपाबाई पुत्री कन्ना भील
   - 2/5 जमनाबाई पुत्री कन्ना भील
   - 2/6 नकारीबाई पत्नि कन्ना भील
3. श्री भॅवरू पिता श्री भैरा भील निवासी कुण्डाल, पटवार क्षेत्र नाहरमगर, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डबोक, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार मावली बप्रकरण संख्या 984/2014 निर्णय दिनांक 16.10.14

उपस्थित : श्री विजयकुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—12.04.18

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश उपतहसीलदार मावली के प्रकरण संख्या 984/2014 निर्णय दिनांक 16.10.14 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा कुण्डाल पटवार मण्डल नाहरमगरा की आराजी संख्या 5224/1438 व 1438 रकबा 10 बिघा पर अपीलान्टगणो का उनके पूर्वाधिकारीयों के समय से ही कब्जे काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इन आराजीयातो को आबादान करने में कई पीढियों की मेहनत व धन खर्च किया गया हैं। पिछले 40 वर्षो से अपीलान्टगण एवं उनके बाप दादा लगान भी भरते आ रहे हैं एवं कब्जा काफी वर्ष पूर्व का हैं। इस भूमि को खाते कराने हेतु हमार पुर्वाधिकारीयो के अलावा हमारे द्वारा भी कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये परन्तु आश्वासन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जबकि इन्ही आराजीयातो में हमारे रहने के लिये पशुओ के रखरखाव के लिये मकान बना रखे हैं। कुॅआ भी खोद रखा हैं। परिवारजन की आजीविका का एकमात्र साधन यही भूमि हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार मावली द्वारा उपरोक्त बातो के नजरअंदाज कर अपीलान्टगण को इस भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये। जिसकी आड़ में रेस्पोडेट इस भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। जबकि उन्हे ऐसा कोई अधिकार नहीं हैं। साथही मौके पर खड़ी फसल को भी जब्त सरकार कर लिया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.10.14 को निरस्त फरमाया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि का नियमन अपीलार्थीगण के नाम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई। प्रकरण में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट भी प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षी संख्या 2 की मृत्यु हो जाने से उसकी नामकायमी तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगणो का कब्जा उनके पूर्वाधिकारीयो के समय से होकर विगत 40 वर्षो से अपीलान्टगण के पिता द्वारा काश्त की जाती रही थी। उनकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेंटगण द्वारा काश्त की जा रही हैं। इस दर्मियान भूमि आवंटन/ नियमन करवाये जाने हेतु काफी बार प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी मावली व तहसीलदार मावली को प्रस्तुत किये गये। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस भूमि को काबिल काश्त बनाने हेतु काफी श्रम व भारी लागत लगाई गई हैं। भूमि का आबादान करने में अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारीयो की भी बहुत मेहनत रही हैं। इस भूमि पर अपीलान्टगण द्वारा कुॅआ भी खोदा गया हैं एवं रहने हेतु मकान मवेशियो हेतु मकान बनाये गये

हैं। अपीलान्टगण मय परीवार यही निवास करते हैं। अपीलान्टगण अनुसूचित जनजाती के व्यक्ति हैं। अतिक्रमित भूमि किस्म बिलानाम सरकार हैं। कब्जा भी काफी पुराना हैं। पुराने कब्जे के आधार पर अतिक्रमित भूमि नियमन योग्य हैं। अपीलान्ट द्वारा लगाये गये बड़े बड़े पेड़ हैं। पूर्व में भी द्वितीय अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जहॉ के प्रकरण संख्या 32/14 उदयपुर ऑर्डर में पी.14 खसरा परिवर्तनशील के आधार पर कब्जा दीर्घ समय का माना। साक्ष्य उपलब्ध होते हुए भी बेदखली के आदेश पारित किये गये है जिसे भी न्यायसंगत नहीं माना एवं प्रकरण में पक्षकारानो को सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अतिक्रमियो की पात्रता नियमन नियमानुसार सम्भव होने पर पूर्ण विचार कर छः माह की अवधि में निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की अनुपालना में रेस्पोडेंट द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बल्कि पुनः बेदखली के आदेश पारित किये गये। जो किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं हैं। अतः कृपया अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त करते हुए यह निर्देश प्रदान करे की वादग्रस्त भूमि का नियमन अपीलान्टगण के पक्ष में किया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खाते अंकित हैं। अतिक्रमित भूमि किस्म पहाड़ है जो गैर काबिल काश्त हैं। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित होकर इसका आवंटन नहीं किया जा सकता हैं नाही पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध है जो यह साबित करते हो कि इनका कब्जा काफी पुराना हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट को निरस्त फरमायी जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। वर्तमान में भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज हैं। पत्रावली में प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील की छायाप्रतियॉ जो संवत् 2051 से 2069 यानिकी 19 वर्ष की निरंतर की लगी हुई है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह तो साबित होता है कि अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारीयो का कब्जा संवत् 2051 से निरंतर हैं। जबकि उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1964 दिनांक 21.09.15 से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज हुई हैं। यानिकी अपीलान्टगण का कब्जा काफी पहले का हैं। भूमि किस्म बिलानाम हैं। अपीलान्टगण नियमन की पात्रता भी रखते हैं। अतिक्रमित भूमि में से जो भी भूमि काबिल काश्त होकर अपीलान्टगण का कब्जा हैं वह भूमिहीन के नाम पर समय रहते आवंटन या नियमन हो जाती तो नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खाते नहीं

होती। कृषि भूमि आवंटन नियम राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 की धारा 20 के तहत अतिक्रमियो को भूमि का आवंटन का प्रावधान भी प्रदान किया हुआ हैं। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमण का नियमन संबंधी परीपत्र भी जारी करती रही हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये कि वह नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को भी पक्षकार के रूप में संयोजित कर उन्हे सुनकर वास्तविक रूप से जितनी भूमि अपीलान्टगण द्वारा कब्जे काश्त की गई है जो नियमन/आवंटन की तारीफ में आती है उतनी भूमि को नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से पुनः प्राप्त किये जाने की विधिवत कार्यवाही कर उतनी भूमि पुनः बिलानाम सरकार राजस्व अभिलेख में दर्ज करा नियमानुसार भूमि का आवंटन नियमन रेस्पोडेंटगण पात्रता रखते हो तो नियमानुसार उनके नाम पर किये जाने की कार्यवाही करायी जाना उचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.10.14 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार मावली को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दिये गये ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपीलान्टगण से साक्ष्य सबुत प्राप्त कर उचित कार्यवाही करते हुए नये सीरे से पुनः आदेश प्रदान किये जावें।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर